

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक: प.13(21)एफडी/राजस्व/76 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 25 FEB 2015

—: आदेश :-


विषय : राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 में प्रीमियम दर के पुनरीक्षण के संबंध में।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 11 (1) (i) में संदेय प्रीमियम दर दिनांक 1.4.2015 से निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है :-

क्रम संख्या	वेतन स्लेब	मासिक प्रीमियम दर
1	6050 से 8500	400
2	8501 से 11000	550
3	11001 से 18000	1100
4	18001 से 28000	1550
5	28000 से अधिक	2650
6	अधिकतम	3000

- 1 उक्त दरें माह मार्च देय अप्रैल, 2015 के वेतन से लागू होंगी।
- 2 उक्त पुनरीक्षण के फलस्वरूप नियम 11 के उप नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित वेतन खण्ड दर से आगामी दो खण्डों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रीमियम का ऐच्छिक तौर पर विकल्प लिये जाने की स्थिति में अधिकतम कटौती 3000/- रुपये प्रतिमाह होगी।


राज्यपाल की आज्ञा से,


(सुरेश चन्द्र दिनकर)

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
- 2 सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 4 संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 5 प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
- 6 समस्त विभागाध्यक्ष।
- 7 समस्त जिला कलक्टर।
- 8 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 9 समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
- 10 सिस्टम एनालिस्ट एवम् संयुक्त निदेशक (आई.टी.), वित्त विभाग।
- 11 रक्षित पत्रावली।


(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग